अपील सूचना अधिकार संख्या 102/2021 (GCMS 2021/158)(RTI No. 180776592133852) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 72 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर संख्या 52एफ/509322) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर

05.07.2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार उप पंजीयक, श्रीगंगानगर पर शास्ति अधिरोपित करने एवं वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2021 के द्वारा उप पंजीयक, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. आपका पत्रांक 434 दिनांक 09.09.2011 की प्रमाणित प्रति जो आपके विभाग द्वारा प्रार्थी को पत्र लिखा गया है की सूचना की प्रमाणित प्रति।
2. इस पत्रांक 434 दिनांक 09.09.2011 में यह अंकित है कि श्रीमती गंगा देवी W/o स्व. श्री भगवान दास द्वारा दिनांक 16.01.1986 को उप पंजीयक कार्यलय में पंजीबद्ध करवाई गई वसीयत को दिनांक 11.04.200 को श्रीमती मोनिका देवी ने निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति
3. आपके कार्यालय के पत्रांक ... दिनांक 06.06.2017 में अंकित तथ्य कि वर्ष 2006 से 31.12.2013 तक का अभि...

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नष्ट कर दिया गया है। कृपया प्रार्थी के पास तथाकथित वसीयत निरस्त्रीकरण दस्तावेज के अभिलेख की सूचना जिस दिवस नष्ट किया गया व नष्टीकरण की प्रमाणित प्रति। यह पत्र श्रीमान् द्वारा जिला पंजीयक श्रीगंगानगर को लिखा गया है। जिसका क्रमांक 1466 दिनांक 26.05.2017 है, इस पत्रांक की प्रमाणित प्रति व सूचना। जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के पत्रांक 1466 दिनांक 26.05.2017 जो आपको सम्बोधित है, की सूचना व प्रमाणित प्रति।

4. जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के पत्रांक 1466 दिनांक 26.05.2017 जो आपको सम्बोधित है, की सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के पत्रांक 1466 दिनांक 26.05.2017 की पालना में महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के परिपत्र संख्या 14/19 के बिन्दु संख्या 3 एवं परिपत्र संख्या 15/2015 के बिन्दु सं. 04 के क्रम में पंजीयन अधिनियम 1955 के नियम 23 एवं 24 के अन्तर्गत अभिलेख के समय समय पर नष्ट किये जाने के उपरान्त नष्टीकरण का प्रमाण एवं अपेडिंक्स थर्ड के फार्म नम्बर 7 की सूची जो पंजीयक कार्यालय द्वारा, श्रीगंगानगर द्वारा जो पंजीयक कार्यालय द्वारा श्रीगंगानगर द्वारा मांगी गयी थी, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. पत्रांक 1466 दिनांक 26.05.2017 में अंकित पंजीयन आय नियम 1955 के नियम 23 व 24 की प्रमाणित प्रति।
7. पत्रांक 1466 दिनांक 26.05.2017 की पालना में आप द्वारा भेजी गयी नष्टीकरण अभिलेख की सूचना व उस पत्रांक व जवाब की सूची व सूचना क्रमांक व दिनांक की प्रमाणित प्रति।
8. जिस विभागीय नियम में पत्र की पालना में नष्टीकरण की सूचना नहीं भेजी गयी है, उस नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/21/1123 दिनांक 29.09.21 एवं स्मरण पत्र 588 दिनांक 25.05.2022 से उप पंजीयक, श्रीगंगानगर से सूचना चाही गई थी, जिसंके सम्बन्ध में आदिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नहीं किया है। जिससे उनके द्वारा अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र पर कोई जवाब दिया जाना प्रतीत नहीं होता है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> **धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं किन्तु अपीलार्थी द्वारा उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत **उप पंजीयक द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के पत्रांक एफ2(30)सू.अ./नियुक्ति/मुख्यालय/2337 दिनांक 25.11.2016 के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अधिकृत है। इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचनाओ के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है आदेश की प्रति उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.20 16:21:34 IST
Reason: SelfAttested